IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत में जनगणना : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ० सुनील कुमार मंडल
उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (+2)
श्री च. मि. ल. कृ. प्र. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
अरार धुआवै, भागलपुर

भारत में जनगणना

प्राचीन काल से ही भारत में किसी न किसी रूप में जनगणनाएं होती रही है। चन्द्रगुप्त मौर्य के शासन काल (321– 269 ई. पू.) में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जनगणना के अतिरिक्त अन्य अनेक प्रकार की गणनाओं जैसे कृषि संगणना, आर्थिक संगणना आदि के उदाहरण मिलते हैं। मैंगस्थनीज जो कि यूनान का यात्री था जब भारत आया तब उसकी भेंट ऐसे अनेक व्यक्तियों से हुई जिनकी नियुक्ति तत्कालीन शासक ने समंको के संकलन के उद्देश्य से की थी। उस समय भारत में जन्म तथा मृत्यु के पंजीकरण की व्यवस्था थी। गुप्त काल में जनगणना नियमित रूप से निश्चित समयाविधि के बाद की जाती थी। अकबर के शासनकाल में जनसंख्या के समंकों के आकलन के उल्लेख 'आईने–ए–अकबरी' में मिलते हैं। भारत में अंग्रेजों के सम्पूर्ण अधिपत्य के पूर्व भारत में जनगणना के कुछ छिटपुट प्रयास किए गए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी ने अपनी गतिविधियों का विस्तार किया जिससे उसके लिए जनसंख्या के आधार का अनुमान लगाना आवश्यक हो गया। सन 1849 ई0 में ईस्ट इंडिया कम्पनी के सम्पूर्ण अधिकार क्षेत्र की जनगणना की गई तथा यह प्रस्ताव रखा गया कि प्रत्येक पाँच वर्ष के पश्चात जनगणना की जानी चाहिए। भारत में पहली जनगणना में अनेक त्रुटियाँ थी इसलिए सन 1881 की जनगणना को भारत की प्रथम विधिवत् जनगणना माना जाता है। तब से भारत में जनगणना नियमित रूप से एक दशक (Decade) अर्थात 10 वर्षों के अंतराल में आयोजित की जा रही है। वर्तमान में जनगणना के सन 2011 ई0 में की गयी जो देश की 15वीं स्वतंत्र भारत की 7वी और 21 वी शताब्दी की कि दूसरी जनगणना थी।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् अब तक भारत की जनसंख्या 121.02 करोड़ (सन 2011) हो चुकी है। भारत में जनसंख्या की वृद्धि तीव्र गति से हो रही है। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2030 तक देश की जनसंख्या बढ़कर चीन से अधिक हो जाएगी। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। पृथ्वी पर हर छठवां व्सक्ति भारतीय हैं।

भारत में जनगणनाओं के अनुसार जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व एवं लिंगानुपात

क्रम सं.	सन्	जनसंख्या	घनत्व (प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर)	लिंगानुपात
1.	1901	238396327	77	972
2.	1911	252093390	82	964
3.	1921	251321213	81	955
4.	1931	278977238	90	950
5.	1941	318660580	103	945
6.	1951	361088090	117	946
7.	1961	439234771	142	941
8.	1971	548159652	177	930
9.	1981	683329097	216	934
10.	1991	846421039	267	926
11.	2001	1028737436	324	933
12.	2011	1210193422	382	940

स्वतंत्रता से पूर्व की जनगणनाएं

स्वतंत्रता से पूर्व विशेषकर सन 1931 ई० तक जनगणना का कार्य तथ्य सिद्ध पद्धति के आधार पर एक रात्रि (one night) में पूरी की जाती थी अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की गणना रात्रि विश्राम वाले स्थान पर होती थी भले ही उसका स्थाई निवास कहीं भी हो। यह गणना पद्धति दोष पूर्ण थी फलतः सन 1941 ई0 की जनगणना में अनेक परिवर्तन किए गए। सन 1941 ई. तक जनगणना कार्य अस्थायी रूप से किया जाता था।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् की जनगणनाएं

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में अब तक सात जनगणनाएं हो चुकी है पहली जनगणना सन 1951 ई में और वर्तमान जनगणना 2011 ई० में आयोजित की गई। सन 1881 ई. की जनगणना को भारत की प्रथम विधिवत जनगणना माना जाता है तभी से भारत में जनगणना नियमित रूप से एक दशक अर्थात 10 वर्षो के अंतराल से आयोजित की जा रही है। जनगणना 2011 देश की 15 वीं, स्वतंत्र भारत की सातवीं, 21वीं शताब्दी की दुसरी जनगणना है।

जनगणना विधि

जनगणना जनसंख्या के समंकों को संकलित करने की सबसे उत्तम विधि है तथा इसके परिणाम सत्य के अधिकतम निकट होते हैं। यह एक सांख्यिकीय क्रिया है जो किसी देश को उसके प्रशासन आर्थिक सामाजिक व क्षेत्रीय नियोजन एवं नीति सम्बन्धी सूचनायें उपलब्ध कराती है। सामान्यतया किसी क्षेत्र विशेष के मान व प्राणियों की एक विशेष पर गणना करने की प्रक्रिया है जिसमे जनांकिकी सामाजिक एवं आर्थिक आँकड़ो का एकत्रीकरण, संकलन एवं प्रकाशन होता है अर्थात जनगणना व्यक्तियों की गणना मात्र से ही सम्बन्धित नही होती, वरन यह देश की सम्पूर्ण जनसंख्या और उसकी जनांकिकीय विशेषताओं का दर्पण होती है। इस प्रकार जनगणना एक राष्ट्रीय स्कन्ध मूल्यांकन (National stock-talking) की क्रिया के समान है जिसमे सम्पूर्ण जनसंख्या का आगमन और आयु, लिंग, आय व्यवसाय, धर्म व जाति के अनुसार उसके विवरण के संबंध में व्यापक जानकारी प्राप्त की जाती हैं।

रूपरेखा

जनगणना एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य है, जिसे प्रत्येक 10 वर्ष में सम्पन्न कराया जाता है। यह जनगणना कार्य नियोजन, प्रशासन, व निर्वाचन आदि कार्यों के लिए महत्वपूर्ण आधारभूत आँकड़े प्रदान करती है। जनगणना भारतीय जनगणना अधिनियम सन् 1948 ई0 के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। इस अधिनियम के अन्तर्गत जनगणना अधिकारी (चार्ज अधिकारी, सुपरवाइजर एवं प्रगणक) केवल वही प्रश्न पूछ सकता है जिन्हें गजट में प्रकाशित किया गया है। किसी नागरिक द्वारा दी गई सूचना गोपनीय होती है। उसे किसी भी कार्यवाही में पक्ष या विपक्ष में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी जानकारी और विश्वास के अनुसार प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। जनगणना अधिकारी भी दिए गए किसी कर्तव्य का पालन न करने या उसमें आवश्यक तत्परता न बरतने, जानबूझकर कोई आपत्तिजनक या अनुचित प्रश्न करने या जनगणना कार्य से संबंधित कोई सूचना अन्यत्र प्रकट करने के लिए दण्ड का भागी होगा, तथा यदि कोई व्यक्ति जानबूझ कर गालत उत्तर देता है या दिए गए मकान नम्बरों को मिटाता है अथवा किसी व्यक्ति द्वारा जनगणना के कार्यों को सम्पन्न कराने में बाधा उत्पन्न करता है तो वह दण्ड का भागी है। अधिनियम के अन्तर्गत उस पर 10000 रूपयें तक का जुर्माना हो सकता है और कुछ मामलो 6 मास की सजा भी हो सकती हैं।

परिवार

परिवार ऐसे व्यक्तियों के समूह को कहते है जो सामान्यतः एक साथ रहते हैं यदि काम की आवश्यकता उन्हें मजबूर न करे तो एक ही रसोई में खाना खातें हो असंबंधित व्यक्तियों के परिवार को 'संस्थागत परिवार कहा जाता है। परिवार एक व्यक्ति का, दो व्यक्तियों और अनेक व्यक्तियों का हो सकता है। एक जनगणना मकान में परिवारों की पहचान जनगणना मकान नम्बर के बाद उनमें क, ख, ग, आदि लगाकर होती हैं। यदि जनगणना मकान नम्बर 10 (1) में दो परिवार है तो उन परिवारों के नम्बर 10 (1) (क) और (ख) हुए।

यदि जनगणना मकान में केवल एक ही परिवार रहता है, तो उस परिवार का नम्बर वही होगा जो जनगणना मकान का नम्बर है। इसी प्रकार एक भवन में यदि एक जनगणना मकान के जिसमें एक ही परिवार रहता है तो ऐसी दशा में जनगणना मकान एवं परिवार नम्बर वही माना गया जो भवन का नम्बर है।

भारत में जनगणना सन 2011 ई० के परिणाम

क्रम	नाम	दर प्रतिशत
पण	कुल जनसंख्या	121.02 करोड़
पपण	पुरुष जनसंख्या	51.54
मपपण	महिला जनसंख्या	48.46
पअण	दशक वृद्धि का प्रतिशत	17.64
अण	लिंगनुपात	940
अपण	जनसंख्या घनत्व	382
मपपण	सक्षरता दर	75.04
मपपण	पुरूष साक्षरता दर	82.14
पगण	महिला साक्षरता दर	65.46
गण	पुरूष महिला साक्षरता में अंतर	16.68

भवन

आमतौर पर एक पूरी इमारत को भवन कहते हैं। कभी कभी इमारतो में एक से अधिक संघटक इकाइयों होती है, जिन्हें भिन्न भिन्न उपयोगों मे लाया जाता है जैसे भवन के एक भाग दुकान है दूसरे भाग निवास है, तीसरे मे वकील डॉक्टर, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट आदि का कार्यालय है आदि फ्लैटों वाली बहुमजली इमारत को एक भवन माना जाना चाहिए। परन्तु यदि स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा अत्येक फ्लैटों को स्वतंत्र नम्बर दिया जाता है तथा इन नम्बरो को प्रयोग में ला रहे है तो प्रत्येक फ्लैटों को अलग अलग भवन मान लिया जाता है। मंदिरों, पम्प घरो और इसी प्रकार की अन्य संरचनाओं को भी अवश्य ध्यान में रखा जाता है क्योंकि ये वे स्थान है जहाँ लोग रह सकते है अथवा उधम चलाए जा सकते हैं।

खाका – यह सभी गलियों सड़कों एवं भवनों को प्रदर्शित करते हुए प्रगणन ब्लॉक का एक विस्तृत नक्शा है। यह भी नजरी नक्शे की भाँति किसी पैमाने पर नहीं बनाया जाता है। पक्के मकानों को वर्ग एवं कच्चे मकानों को त्रिभुज के दिखाया जाता है जो मकान पूर्ण तौर पर गैर–आवासीय है, उनके लिए इन चिन्हों में ग्रेडिंग कर दी जाती हैं।

नजरी नक्शा– नजरी नक्शा तैयार करने का मुख्य अभिप्राय प्रत्येक जनगणना ब्लॉक की स्थिति को स्पष्ट किया जाता है इसमें ब्लॉक की सीमाओं के भीतर भौगोलिक वितरण व मुख्य चिन्ह अंकित किए जाते हैं।

जनगणना मकान– जनगणना मकान एक भवन या भवन का वह भाग है जिसका अलग प्रवेश द्वार है किंतु जनगणना मकान का एक पृथक इकाई के रूप में उपयोग होना आवश्यक है। एक भवन में आने वाले जनगणना मकानों को भवन नम्बर के बाद ब्रैकेट में उपकार नम्बर दिए गए है, जैसे – 10(1), 10 (2), 10 (3), 11(1), 11 (2) आदि। यदि एक भवन अपने आप में जनगणना मकान है जो जनगणना नम्बर वही होगा जो भवन का नंबर है।

जनगणना कार्यक्रम का संचालन

जनगणना मॉडल तैयार करना – सूचनाएं किन–किन विषयों पर एकत्र की जानी हैं तथा उसका स्वरूप क्या होना चाहिए, यदि बातों को स्थान में रखकर अनुसूची तैयार की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्तुति के आधार पर प्रत्येक राष्ट्र की अनुसूची में निम्नलिखित भेद शामिल रहती हैं।

(क) भौगोलिक सूचनाएं (1) जनगणना के समय का स्थान अथवा निवास का सामान्य स्थान। (ख) व्यक्तिगत विशेषताएं (2) लिंग (3) आयु (4) वैवाहिक स्तर (5) जन्म स्थान (6) नागरिकता (ग) परिवार संबंधी सूचनाएं (7) परिवार के मुखिया से संबंधित (घ) आर्थिक विशेषता (8) कार्य की प्रवृति (9) व्यवसाय (10) उद्योग (11) स्थिति (मालिक या नौकर)। (ड़) सांस्कृतिक विशेषताये–(12) भाषा (13) जातीय विशेषताएं । (च) शिक्षा संबंधी विशेषताएं (14) साक्षरता (शिक्षित और अशिक्षित) (15) शिक्षा का स्तर (16)

स्कूल उपस्थिति (छ) प्रजननशीलता सम्बंधी सूचनाएं –(17) कुल सजीव जन्मे बच्चे (ज) प्रश्नावली से निकाले जाने वाले विषय (18) कुल जनसंख्या (19) स्थानानुसार जनसंख्या का घनत्व (20) ग्रामीण नगरीय वर्गीकरण (21) पारिवारिक गठनं।

इसके अतिरिक्त जनगणनाओ मे राष्ट्रीय महत्त्व के विषयों पर भी, सूचना एकत्रित की जाती है तथा माता पिता का जन्म स्थान, पूर्व निवास स्थान, आय, धर्म जाति, घरेलू व्यवसाय, भूस्वामित्व, विवाह की बारम्बारता आदि ।

अनुसूची का निर्माण करना – यह निश्चित से जाने पर किन किन विषयों पर सूचनाएं एकत्र की जानी है। जनगणना कार्य के सफल संचालन हेतु प्रशासनिक ढांचा तैयार किया जाता है। इस कार्य हेतु सम्पूर्ण प्रशासनिक मशीनरी को प्रशिक्षित किया जाता है तथा क्षेत्रवार अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं।

प्रकाशन– जनगणना का अंतिम कार्य समंको का प्रकाशन होता है। जनगणना के के उपरान्त देश की जनसंख्या का आकार लिंग अनुपात, ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या को अनुमति, साक्षरता का स्तर, जन्म एवं मृत्यु दरें, जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या का घनत्व आदि के संबंध में एक प्रपत्र प्रकाशित का दिया जाता है। भारत में जनगणना की सूचनाएं जिलावार प्रकाशित किया जाती है जिसमे जिला जिलों से संबंधित व्यापक सूचनाएं होती है इसे जिला जनगणना पुस्तिका कहा जाती है।

जनगणना की विशेषताए– जनगणना देश की सम्पूर्ण जनसंख्या से सम्बद्ध होती है इसके अन्तर्गत समुदाय के प्रत्येक सदस्य की गणना आवश्यक है। गणना में न तो किसी व्यक्ति को छोड़ना चाहिए और न ही किसी की गणना एक से अधिक बार होनी चाहिए। गणना नियमित रूप से तथा एक अवधि के उपरान्त आयोजित की जाती हैं। यह अवधि 10 वर्ष की होती है। यू एन ओं के अनुसार हर देश को 0 से समाप्त होने वाले वर्ष (अर्थात 1980, 1990, 2000 और 2020 आदि) या उसके निकटतम वर्ष मे जनगणना करनी चाहिए। जनगणना का संचालन एवं नियंत्रण सरकार द्वारा होता है।

जनगणना का महत्व

सामाजिक महत्व – भाषा, धर्म, लिंग आदि से संबंधित सूचनाए भी जनगणना से एकत्र की जाती है जो एक बड़ा सामाजिक महत्व रखती हैं। सामाजिक कुरीतियों जैसे– बाल विवाह, सती–प्रथा, विधवा समस्या, भिखारियो की संख्या, महामारी आदि परिस्थितियों को दूर करने में जनसंख्या सम्बन्धी समंकों का ही सहारा लिया जाता है।

आर्थिक महत्व– आँकड़ो का बहुत महत्व है क्योंकि जनसंख्या के आकड़ों के आधार पर ही आर्थिक विकास की. प्रवृत्ति, व्यावसायिक ढाँचा, ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या में वृद्धि की दर, परिवार नियोजन एवं खाद्ध समस्या आदि का विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाता।

राजनीतिक महत्व– जनसंख्या सम्बन्धी आँकड़ों का राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत महत्त्व है–

I- इसी आधार पर संसद तथा विधान सभाओं के क्षेत्र निश्चित किये जाते हैं।

II- अनुसूचित जातियों व पिछड़े वर्गो इत्यादि से सम्बन्धित नियम जनसंख्या के आधार पर ही बनाए जाते हैं।

संदर्भ सूची :–

1. वर्मा, प्रियंका : स्पर्धा प्रकाशन जमशेदपुर
2. सुमन एच. एन. पी. एस (2007) : अर्थशास्त्र आलोक भरती प्रशासन पटना